

राजस्थान तरकार
नगरीय पिकात पिभाग

प्रांगोक :- पा. ५१२८८ नवीन/३/७७

जयपुर, दिनांक :- १६/२/०८

संचिव,
जयपुर पिकात प्राप्तिकरण, जयपुर

निवेशक,
त्यानीय निकाय पिभाग,
राजस्थान जयपुर।

शिल्प
१५-२-०८

ग्रामिण,
नगर हुधार न्यात,
..... समस्त

पिभाग :- हृषि भूमि पर मास्टर प्लान स्वं नगर नियोजन के स्थीरता मानदण्डों के प्रतिरीत नई-नई कोलोनियों के नियोजित करने के सम्बन्ध में।

...

महोदय,

इस पिभाग के सफ्टेंजिङ आदेश दिनांक १३. ११. २००१ के द्वारा, जयपुर ५हर तहित प्रदेश के अन्य इहरों/ नगरों में शुद्ध निर्माण सहकारी समितियों/ भातेदारों / अन्य व्यक्तियों के द्वारा हृषि भूमि पर मास्टर प्लान स्वं नगर नियोजन के स्थीरता मानदण्डों के प्रतिरीत नई-नई कोलोनियों नियोजित कर भूखण्ड देखे जाने के मामलों को रोकने/ अंत्य लगाने के तिर निर्देश जारी किये गये थे। फिन्टु इसको पातना न्यात स्तर पर नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परियन्त्र में वर्षिष्ठ निर्देशों की इस-प्रतीक्षित पातना की जाए स्वं जन सामाजिक लो इसको जानकारी छाने हेतु इसका भरतक प्रयार प्रतार भी किया जाए। राज्य सरकार द्वारा अप्रसूपना नंबरों प. १०६। नवीन/३/२००२ दिनांक १०. १. २००२ व १५. २. २००२ जारी कर नियी त्रै भूमि आवासीय परियोजनाओं/ दोजन्यीय पिकात करने हेतु पिरुता निया निर्देश दिये गए, जिसके अनुसर नई कोलोनियों को विकासित किया जाना है। दिनांक १३. ११. २००१ के परियन्त्र जारी होने से पूर्व हृषि भूमि पर निर्माण, मास्टर प्लान, तेक्टर प्लान की रोड भी लीभा में क्षम नहीं है वहाँ तड़क को घोड़ाई यथा तैम्य दरकार रखते हुए गोल्डिंग लाई का पूनः किंगरण कर पटटा जारी कर किया जाए।

भवदीप,
१८. २. ०८

भासन उप संचिव

2. राजिन्द्र सहाय्य, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान
3. निमी तथिव, मा. राज्य मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान
4. ग्रामन तथिव, राजस्थ विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निमी तथिव, ग्रामन तथिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान
6. समस्त नगरीय उद्योग / जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. निदेश, रथानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को पृष्ठित हो नेह
कि इस उद्योग की प्रतिविधि समस्त नगर निगम / परिषद / पालिका
हो जपने वाले तेज तेज मिलपाने का ब्रम करें।

४. राखित पत्राखती

३५ ग्रामन १६.२.०८